कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 05.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

04 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना को0 मनकापुर पुलिस ने 02 व थाना तरबगंज पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. थाना को0 देहात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. जगप्रसाद पुत्र स्व0 मिश्री लाल नि0 पण्डरी कृपाल थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–594/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.11.2023

गैरइरादतन हत्या करने की वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में लम्बे समय से फरार/वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों के दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 05.11.2023 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैरइरादतन हत्या करने के वांछित अभियुक्ता–पिंकी को ग्राम बनवरिया मौजा परसहना को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्ता ने दिनांक 19.09.2023 को अपने परिजनों के साथ मिलकर पैसो की लेन देन के चक्कर में वादी उदय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 इन्द्रसेन सिंह नि0 दूबेपुर गढी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के भाई को मार–पीट कर घायल कर दिया था। जिनकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मृतक के भाई द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. पिंकी पुत्री हरिराम नि0 बनवरिया परसहना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–458/23, धारा 304 भादवि थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

प्र0नि0 नवाबगंज मनोज कुमार राय मय टीम।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.11.2023

पति–पत्नी के झगड़े को पुलिस ने कराया खत्म, पति–पत्नी एक साथ रहने को हुए राजी–

आज दिनांक 05.11.2023 को आवेदिका शांति पत्नी संतोष जायसवाल नि0 परसापुर महरौड थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा महिला हेल्प डेस्क थाना वजीरगंज में प्रार्थना पत्र दिया कि प्रार्थिनी का अपने पति से लगभग 8 माह से विवाद चल रहा है। पत्नी की तहरीर पर मौके पर पति को जरिए दूरभाष महिला हेल्प डेस्क द्वारा थाने पर बुलाया गया महिला हेल्प डेस्क तैनात म0का0 अनीता सोनकर, आरक्षी सूरज उपाध्याय, आरक्षी राज नरायण यादव द्वारा पति व पत्नी को समझाया गया समझाने पर पति और पत्नी एक साथ रहने को राजी हो गए और आपसी सहमति से इस बात पर सुलह समझौता कर लिया की हमलोग अब हंसी–खुशी जीवन यापन करेगा। पुलिस के इस कार्य की आम जनमानस में काफी प्रंशसा की जा रही है।

<u>सराहनीय कार्य</u>
<u>प्रेस नोट</u>
<u>मीडिया सेल, जनपद गोण्डा</u>
<u>दिनांक 05.11.2023</u>

डायग्नोस्टिक सेन्टर में हुई चोरी की घटना का खुलासा, चोरी का समान बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शातिर चोरों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 11.05.2023 को विवेचना के दौरान प्रकाश में आये 02 शातिर चोरों–01. मो0 मुजम्मिल, 02. मो0 यासीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का माल बरामद किया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक इण्डियन डायग्नोस्टिक सेन्टर अल्लीपुर में चोरी की थी। जिसके सम्बन्ध में डा0 आदित्य कुमार वर्मा द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण–</u>

01. मो0 मुजम्मिल पुत्र रफीक अहमद उर्फ सारिक नि0 पकड़ी चौधरी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।
02. मो0 यासीन पुत्र रफीक अमहद उर्फ सारिक नि0 पकड़ी चौधरी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

<u>अनावरित अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–210/23, धारा 457,380,411 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

1. अल्ट्रासाउण्ड मशीन पोर्टेवल जिस पर अंग्रेजी में MINDRAY रंग सफेद S.NO. ML99106423 वर्ष 2009
2. मानिटर ब्लू फैदर ब्लैक रंग S.NO. BW15HDPXLHDMI21062301
3. CPU S.NO. PG01XET9
4. लेनवो माऊस S.NO. 8SSM50L24506ABLC99704DY
5. लेनवो कीबोर्ड S.NO. 991BOC4Z
6. प्रिन्टर मशीन एप्सन S.NO. SN052XY120318 ब्लैक
7. बफर सेट एक्ट प्लास्टिक के डिब्बे में टिप 88 पीस
8. ब्लड रोलर मिक्सर मशीन S.NO. ENG45
9. माइक्रोस्कोप मैनुअल TLS-1
10. लैब इन्क्यूवेटर मशीन T-1
11. सेन्टीफ्यूजर मशीन रंग नीला सफेद एक तार लगा है
12. इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर S.NO. 1063SYROS-SYRTS BIOTECH PVT-LTD
13. HBA1C मशीन यूनीकार्न प्रीमा
14. पी पैड 100 माइक्रो,50 माइक्रो
15. सेल काउन्टर मशीन रंग सफेद S.NO. 70PET01118,BHAT- BIOTECH IND (P-LTD)
16. एनालाइजर रंग सफेद जिस पर LAB-MATE-LABSY-STEMS, S.NO. ES1002012CN392
17. डाइलैन्ट S.NO. 32000104 प्लास्टिक मय पाइप सफेद काली
18. लाइज S.NO. A9U1225 मय पाइप प्लास्टिक सफेद काली
19. अल्ट्रासाउण्ड प्रिन्टर सोनी कम्पनी मॉडल नं0 UP-895MDW

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

अपराध निरीक्षक दुर्गविजय सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.11.2023

बलवा कर मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फरार/वांछित अभियुक्तों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों के दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बलवा कर मारपीट करने के 02 वांछित अभियुक्तों–01.अमरनाथ पाण्डेय, 02. भरत लाल पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों दिनांक 07.06.2023 को वादी अभिषेक पुत्र अरूण कुमार पाण्डेय नि0 ग्राम पिपरापदुम थाना को0 देहात जनपद गोण्डा व उसके परिजनों को बलवा करते हुए मारा–पीटा था वादी के निर्माणाधीन मकान पर बम फेंक कर तोड़फोड की थी। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अमरनाथ पाण्डेय पुत्र स्व0 कमला प्रसाद नि0 झाली गांव मौजा पिपरा पदुम थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. भरत लाल पाण्डेय पुत्र बद्री दयाल पाण्डेय नि0 झाली गांव मौजा पिपरा पदुम थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–273/23, धारा 147,148,149,452,323 भादवि 03 विस्फोटक अधि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा

गिरफ्तारी का स्थान–

राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पहले मोड के पास।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 रामदेव मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 05.11.2023

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम मे आज दिनांक 05.11.2023 को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मंगलनगर डुमची पुरवा रास्ते से अभियुक्त लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर में आर्म्स ऐक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. लवकुश मिश्रा पुत्र राम प्रताप मिश्रा नि0 मंगलनगर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-373/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार कर्ता-

उ0नि0 मृतुंजय सिंह मय टीम।